सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय

माल रोड, अल्मोड़ा-263601 (उत्तराखण्ड)



SOBAN SINGH JEENA UNIVERSITY

MALL ROAD, ALMORA-263601 (UTTARAKHAND)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 पर आधारित

अध्यादेश - रुपरेखा 2025

ORDINANCE & CURRICULUM FRAMEWORK - 2025

शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू



www.ssju.ac.in

स्नातक पाठ्यक्रमों (बी०ए०, बी०एस-सी०, बी०कॉम०) के लिए प्रवेश नियम व अध्यादेश 2025



1

प्रवेश नियम

(सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु) (शैक्षणिक सत्र 2025—2026 से प्रभावी)

अध्याय-1 साधारण नियम

- 1—1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑनलाइन (Online) पद्धित से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष / प्राचार्य / सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय / संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।
- 1—2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जाऐगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण / परिवर्तन / विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
- 1—3 परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों में प्रवेश हेतु परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर प्रवेश समिति द्वारा अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी अनन्तिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए प्रवेश समितियाँ सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की वेबसाईट से आवेदनकर्ताओं (आवेदन पत्र) का आंकड़ा (Data) Excel Format में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि उपरोक्त डाटा डाउनलोन करने में किठनाई उत्पन्न हो रही हो तो इसके लिए परीक्षा नियंत्रक को ई—मेल के माध्यम से भेजने के लिए सूचित किया जा सकता हैं। परिसर / महाविद्यालय / संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा Online प्रवेश आवेदन पत्र / फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर / महाविद्यालय / संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।
- 1—4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/ आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 1—5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ—पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे



- 1–6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेत् सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
- 1—7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाट्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित माहाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
 - (ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों की किसी कक्षा में घोखाघड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
 - (ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।
 - (घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अविध के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
- 1-8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- 1–9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दिण्डत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
 - (ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दिण्डत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत "धोखाधड़ी से प्रवेश लेना" माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।



- 1–10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान/संकाय/विभाग में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- 1–11 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है :

1- अनुसूचित जाति १९ प्रतिशत

2- अनुसूचित जनजाति 04 प्रतिशत

3- अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत

4- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अविध से पूर्व का न हो।)

नोट : स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा—

(1) महिलाऐं 30 प्रतिशत

(2) भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत

(3) दिव्यांग ०४ प्रतिशत

(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता—क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

- 1–12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।
 - (i) Extension in date of admission upto 30 days
 - (ii) Relaxation in cut-off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement.
 - (iii) Waiving of domicile requirements.

Assist

4

- 1–13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–
 - (क) एन0सी0सी0 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी 25 अंक
 - (ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर 20 अंक में भाग लेने पर)—
 - (ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/
 पति/पत्नी/सगा भाई/बहन-
 - (घ) जम्मू-कश्मीर में तैनात अर्द्ध-सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई/बहन तथा 20 अंक जम्मू-कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन
 - (इ) अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 50 अंक
 - (च) अन्तर- विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर 40 अंक
 - (छ) शासन द्वारा / खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर30 अंक
 - (ज) राज्य / अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 25 अंक
 - (झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर 25 अंक
 - (ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता25 अंक
 - (ट) जिला शिक्षा अधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला / 20 अंक मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर
 - (ठ) अन्तर-महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की

टीम का सदस्य होने पर

- नोट— उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अईता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।
- 1—14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/विभाग/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/विभाग/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापित्त (NOC) के पश्चात् निर्धारित



शुक्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1-15 (क) स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतू-

प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त-

- 1. शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में 02 वर्षों के भीतर स्नातक कक्षा में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
- 2. अभ्यर्थी की शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में त्रिवर्षीय स्नातक कक्षा में प्रवेश अनुमन्य होगा किन्तु अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे (योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्ताकों के 05 प्रतिशत अंक कम किये जायेंगे)।
- 3. किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) :— यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम *नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सिटिंफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

- नोट : नौ वर्ष में स्नातक करने वालों की यह व्यस्था NEP.2020 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ही लागू होगी, अन्य विद्यार्थियों के लिए सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत किए गए नियम ही लागू होंगे।
- 4. भविष्य में यू०जी०सी० अथवा एन०एच०ई०क्यू०एफ० राज्य सरकार के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्ध में जो भी दिशा–निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।
- 1—16 सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र (टी०सी०) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं / पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम 15 दिन (पन्द्रह दिन) के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान / संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- 1—17 एक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय पिरसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अनुमन्य होगा, एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय पिरसर/महाविद्यालय/संस्थान में किसी एक एड—ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागु नहीं होगा।



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1—6/2007 (cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

- 1–18 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तृति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।
 - (ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद—विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा वह अभ्यर्थी को मान्य होगा।
- 1—19 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।
- 1–20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग संबंधी विनियम, 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र—छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण— विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

-

कुलसचिव

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोडा

अर्हता निर्धारण के नियम

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु (शैक्षिणक सत्र 2025 – 2026 से प्रभावी)

अध्याय-2 अर्हता / योग्यता सूची निर्धारण के नियम-

2—1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट / Senior Secondary (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

उत्तराखण्ड सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद / यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीण छात्र / छात्रायें ही प्रवेश हेतू अर्ह होंगे।

- (क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेत् अर्हता निम्नवत होगी :
 - (1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट ४० प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण । (४० प्रतिशत का तात्पर्य ४० प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)
 - (2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) ४५ प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (४५ प्रतिशत का तात्पर्य ४५ प्रतिशत से ही होगा न कि ४४.९९ प्रतिशत)
 - (3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय में 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/ विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)। यदि दो अभ्यर्थियों के इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक/मेरिट अंक, जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा कला/विज्ञान अथवा वाणिज्य विषय से उत्तीर्ण की हों, बराबर होते हैं तो वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जायेगी।
 - (4) अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी
- (ख) यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया/गई हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र/छात्रा पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/ महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता/चाहती है तो ऐसे छात्र/छात्रा द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा, जिसके होगा, जिसके उपरान्त ऐसे छात्र/छात्रा को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में



से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

- 2—2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आए व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण—पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।
- 2—3 शिक्षणेत्तर कार्य—कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान / पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों / संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपित जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।
- 2—4 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन—पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।
- 2—5 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता—क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अविध रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

2-6 (a) For Bachelor of Science (B.Sc.):

ग्रुप A, B एवं C में उपलब्ध विषय विशिष्ट मूल (Desipline Specific Core) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। अभ्यर्थी प्रत्येक ग्रुप में से केवल एक विषय का चयन कर सकेगा।

| | MATHEMATICS GROUP | |
|-----------------|-------------------|------------------------|
| GROUP - A | GROUP - B | GROUP - C |
| | | CHEMISTRY |
| | | STATISTICS |
| MATHEMATICS | PHYSICS | COMPUTER SCIENCE |
| IVIATHEIVIATICS | PHYSICS | INFORMATION TECHNOLOGY |
| | | GEOLOGY |
| | | MILITARY SCIENCE |



| | BIOLOGY GROUP | |
|-----------|---------------|------------------------|
| GROUP - A | GROUP - B | GROUP - C |
| | | CHEMISTRY |
| | | FORESTRY |
| BOTANY | ZOOLOGY | INFORMATION TECHNOLOGY |
| | | GEOLOGY |
| | | MILITARY SCIENCE |

(b) For Bachelor of Arts (B.A.):

ग्रुप A, B, C, D, E एवं F अभ्यर्थी विशिष्ट मूल (Desipline Specific Core) के लिए निम्न ग्रुपों में से किन्ही तीन ग्रुप का चयन कर सकेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा चयनित किये गये प्रत्येक ग्रुप में से केवल एक ही विषय का चयन करना होगा।

| GROUP - A | GROUP - B | GROUP - C | GROUP - D | GROUP - E | GROUP - F |
|------------|----------------|------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| ENGLISH | DRAWING & | GEOGRAPHY | EDUCATION | HINDI | |
| LITERATURE | PAINTING | GLOGRAFIII | EDUCATION | LITERATURE | |
| KUMAUNI | ECONOMIS | HISTORY | SOCIOLOGY | MATHEMATICS | |
| BHASHA | LCONOIVIIS | THISTORY | SOCIOLOGY | IVIATHEIVIATICS | |
| SANSKRIT | HOME SCIENCE | INFORMATION | | | DOLUTION |
| LITERATURE | HOIVIE SCIENCE | TECHNOLOGY | | | POLITICAL SCIENCE |
| | PHYSICAL | YOGIC SCIENCE | | | SCIENCE |
| | EDUCATION | TOGIC SCIENCE | | | |
| | PSYCHOLOGY | MUSIC | | | |
| | ANTHROPOLOGY | MILITARY SCIENCE | | | |
| | ANTIKOPOLOGI | STATISTICS | | | |

(C) For Bachelor of Commerce (B.Ccom.):

ग्रुप A, B एवं C में उपलब्ध विषय विशिष्ट मूल (Desipline Specific Core) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। अभ्यर्थी प्रत्येक ग्रुप में से केवल एक विषय का चयन कर सकेगा।

| GROUP - A | GROUP - B | GROUP - C |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| FINANCIAL ACCOUNTING | BUSINESS ORGANIZATON AND MANAGEMENT | MICRO ECONOMICS |



सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोडा

प्रारूप (क)

छात्र/छात्रा द्वारा शपथ-पत्र

- 1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा / रखूंगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा / लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम / परिनियम / अध्यादेश तथा समय—समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगा / करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा / रहूँगी ।
- 2. मैं प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिए गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।
- 3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया गया है।
- 4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा / करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता / करती हूँ तो महाविद्यालय / विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमित न देने का पूर्ण अधिकार होगा ।
- 5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- 6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र / छात्रा के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित (सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप (ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

| मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री / कु0 / श्रीमतीजो | मेरे |
|--|------|
| संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अप | ग्ना |
| व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे / रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते / रहती हैं | तो, |
| इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मे | नेरा |
| पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा। | |

हस्ताक्षर— पिता / अभिभावक

वैधानिक नियन्त्रण-

- 1. सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 की अध्यादेश रुपरेखा—2025 पृष्ठ संख्या 9 एवं 10 में वर्णित पाठ्यक्रमों को विभिन्न विषयों की पाठ्य समिति व विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की प्रत्याशा में प्रारम्भ किये जा रहे हैं।
- 2. विषय विशिष्ट मूल (Desipline Specific Core), क्षमता संवधन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course), मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course), कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course), सामान्य ऐच्छिक (Generic Elective) में एवं उक्त वर्णित प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरुप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सूरक्षित रहेगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोडा

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/निजी संस्थानों की सूची

- 1. सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा
- लक्ष्मण सिंह महर परिसर, पिथौरागढ़
- कुमाऊँ केसरी पंडित बद्री दत्त पांडे परिसर, बागेश्वर
- 4. सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, परिसर, चम्पावत
- 5. राजकीय महाविद्यालय, अमोरी (चम्पावत)
- राजकीय महाविद्यालय, बलुआकोट (पिथौरागढ़)
- राजकीय महाविद्यालय, बनबसा (चम्पावत)
- राजकीय महाविद्यालय, बेरीनाग, (पिथौरागढ़)
- 9. राजकीय महाविद्यालय, भतरौंजखान (अल्मोड़ा)
- डॉ० प्रताप बिष्ट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिक्यासेन (अल्मोड़ा)
- गोपाल बाबू गोस्वामी राजकीय महाविद्यालय, चौखुटिया (अल्मोड़ा)
- 12. राजकीय मॉडल महाविद्यालय, देवीधुरा (चम्पावत)
- 13. राजकीय महाविद्यालय दुगनाकुरी (बागेश्वर)
- 14. स्वर्गीय श्री मदन मोहन उपाध्याय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)
- 15. राजकीय महाविद्यालय, गणाईगंगोली (पिथौरागढ़)
- 16. राजकीय महाविद्यालय, गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)
- 17. राजकीय महाविद्यालय गरुड़ाबाज़ (अल्मोड़ा)
- 18. सुमित्रानंदन पंत राजकीय महाविद्यालय गरुड़ (बागेश्वर)
- 19. राजकीय महाविद्यालय, जैंती (अल्मोड़ा)
- 20. राजकीय महाविद्यालय, कांडा (बागेश्वर)
- 21. स्वर्गीय चन्द्र सिंह शाही, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कपकोट (बागेश्वर)
- 22. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुणीधार मनीला (अल्मोड़ा)
- 23. राजकीय महाविद्यालय, लमगड़ा (अल्मोड़ा)
- 24. एस०वी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट (चम्पावत)

- 25. राजकीय महाविद्यालय, मासी (अल्मोड़ा)
- 26. डॉ० आर०एस० टोलिया राजकीय रनातकोत्तर महाविद्यालय, मुनस्यारी (पिथौरागढ़)
- 27. राजकीय महाविद्यालय, मुवानी पिथौरागढ़
- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायण नगर (पिथौरागढ़)
- 29. राजकीय महाविद्यालय, पाटी (चम्पावत)
- 30. स्व0 श्री जय दत्त वैला राजकीय रनातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत (अल्मोड़ा)
- 31. राजकीय महाविद्यालय, शीतालखेत (अल्मोड़ा)
- एच0एस0बी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोमेश्वर (अल्मोड़ा)
- 33. राजकीय रनातकोत्तर महाविद्यालय, स्याल्दे (अल्मोड़ा)
- 34. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० श्री पान सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय, तल्ला सल्ट, (अल्मोड़ा)
- 35. राजकीय महाविद्यालय, टनकपुर (चम्पावत)
- 36. देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन बनबसा (चम्पावत)
- 37. माँ पूर्णागिरि कॉलेज ऑफ एजुकेशन (चम्पावत)
- 38. पिथौरागढ़ प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान (पिथौरागढ़)
- मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (पिथौरागढ़)
- 40. राजकीय महाविद्यालय, दन्या (अल्मोड़ा)
- 41. ड्रीम शेपर्स सोसायटी, हल्द्वानी (नैनीताल)
- 42. एवलॉन अकादमी, देहरादून
- 43. सुशीला तिवारी होटल प्रबंधन संस्थान, हल्द्वानी (नैनीताल)
- 44. खटीमा प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, खटीमा
- 45. बिपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वाराहाट, (अल्मोडा)
- 46. जय श्री एजुकेशन एवं डेवल्पमेंट सोसायटी, अल्मोड़ा



सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020

अध्यादेश - रूपरेखा 2025

ORDINANCE & CURRICULUM FRAMEWORK – 2025

शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू

Contents:

| 1. | प्रस्तावना | 3 |
|------------|--|----|
| 2. | पारिभाषिक संकेताक्षरों के लिये सन्दर्भ सारणी (Abbreviations) | 4 |
| 3. | परिभाषार्ये (Definitions) | 4 |
| 4. | न्यूनतम समान पाठचक्रम (Minimum Common Syllabus) | 6 |
| 5. | उद्देश्य (Scope) | 6 |
| 6. | पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी | 6 |
| 7. | कोर एवं ऐच्छिक विषय (DSC/DSE/GE) - | 6 |
| 8. | ए0ई0सी0 – क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) | 7 |
| 9. | वी0 ए0 सी0 - मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) | 7 |
| 10. | एस0ई0सी0 कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) | 7 |
| 11. | आई0 ए० पी० सी० (इर्न्टनिशप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसिशप/कम्यूनिटी आउटरिच)/फील्डवर्क | 7 |
| 12. | विषयों का चयन एवं क्रियान्वयन | 8 |
| 13. | क्रेडिट संरचना (Credit Framework) [Multidisciplinary Courses of Study] | 11 |
| 14. | मान्यता प्राप्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (Recognized Open Online Courses) | 17 |
| 15. | क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण | 17 |
| 16. | स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली | 18 |
| 17. | उत्तीर्ण प्रतिशत | 18 |
| 18. | कक्षान्नोति (Promotion) | 19 |
| 19. | बैक पेपर परीक्षा | 19 |
| 20. | काल अवधि | 20 |
| 21. | SGPA एवं CGPA की गणना | 20 |
| 22. | प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी (Time-table) | 21 |
| 23. | मैरिट का निर्धारण (Determination of Merit) | 21 |
| 24. | अध्यादेश संशोधन का अधिकार | 22 |

1- प्रस्तावना

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से लागू न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों के क्रेडिट स्ट्रक्चर (Credit Structure) को National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) एवं Curriculum and Credit Framedwork for Under Graduate Programs (CCFUP) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप संशोधित/पुनर्रीक्षित/निर्धारित किये जाने हेतु शासनादेश सं0 939/XXIV-C-4/2023-01(06)/2019, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 एवं शासनादेश सं0 971/XXIV-C-4/2024-01(06)2019(E-21661), दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के क्रम में निर्मित कर अनुमोदनार्थ पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 13-02-2024 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गयी। उक्त बैठक में उपरोक्त नवीन क्रेडिट स्ट्रक्टचर (Credit Structure) को अनुमोदन के पश्चात उत्तराखण्ड शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था, जिसका उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं0 - 127/XXIV-C-4/2024-01(06)2019(E-21661), दिनांक 23 अप्रैल, 2024 अनुमोदन कर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसके पश्चात् शासनादेश संख्या - 221506/XXIV-C-4/2024-01(6)/2019(E-21661), दिनांक 02 जुलाई, 2024 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप उपरोक्त नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर में आंशिक संशोधन के पश्चात् अन्तिम रूप दिया गया जिसे पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.04.2025 में सर्वसम्मित से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा दिसम्बर, 2024 से अप्रैल, 2025 के मध्य विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु प्रत्येक विषय के लिए पृथक-पृथक कार्यशालाओं का आयोजन कर पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया। इन कार्यशालाओं में कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल एवं कतिपय उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के विषय विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा ॥७, ॥ऽ८, ॥ऽ६८, ॥ऽ५८, ॥ऽ६८, ॥ऽ६८, ॥ऽ६८, ॥ऽ६८, ॥ऽ६८, ॥ऽ६८, ॥ऽ६८, ॥ऽ६८, ॥ऽ६८, ॥ऽ८, ॥ऽ६८, ॥ऽ

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के निर्देशन एवं सिचव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 05-07 मई, 2025 की अविध में सिचवालय, स्थित सभागार देहरादून में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों/विषय समन्वयकों द्वारा पुनः शासन द्वारा नामित ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से जुड़े विषय विशेषज्ञों के समक्ष पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया।

इसके पश्चात् दिनांक 16.05.2025 को अपरान्ह् 04:00 बजे सचिव, उत्तराखण्ड शासन की उपस्थिति में पुनः पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापक विचार-विर्मशोपरान्त नवीन क्रैडिट स्ट्रक्चर (Credit Structure), अनन्तिम न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Tentative Minimum Common Syllabus) एवं तत्सम्बन्धी अध्यादेश को अन्तिम रूप प्रदान कर अनुमोदन किया गया।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय के नेतृत्व में नवीन क्रेडिट स्ट्रक्टचर (Credit Structure) के अनुरूप विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञों द्वारा अनिन्तिम न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों (Tentative Minumum Common Syllabus) को निर्मित किया गया है। जिसे पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की दिनांक 16.05.2025 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में समस्त हितधारकों (समस्त शिक्षक, विद्यार्थियों एवं शिक्षाविदों) के सुझाव हेतु समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी वैबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

अध्यक्ष, पाठ्यक्रम निर्धारण समिति /कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.04.2025 एवं 16.05.2025 में अध्यादेश के प्रावधानों को निम्नवत् स्पष्ट किया गया -

2- पारिभाषिक संकेताक्षरों के लिये सन्दर्भ सारणी (Abbreviations) —

| क्रम | अंग्रेजी | हिन्दी |
|------|---|--|
| 1. | NHEQF - National Higher Education Qualification | एन०एच०ई०क्यू०एफ० - राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता |
| | Framework | विन्यास |
| 2. | CCFUP - Curriculum and Credit Framework for | स्नातक कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम एवं क्रेडिट संरचना |
| | Undergradutate Programme | |
| 3. | DSC - Discipline Specific Core | डी०एस०सी० - विषय विशिष्ट मूल |
| 4. | DSE - Discipline Specific Elective | डी०एस०ई० - विषय विशिष्ट ऐच्छिक |
| 5. | GE - Generic Elective | जी0ई० - सामान्य एच्छिक |
| 6. | AEC - Ability Enhancement Course | ए०ई०सी० - क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम |
| 7. | SEC - Skill Enhancement Course | एस0ई0सी0 - कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम |
| 8. | VAC - Value Added Course | वी०ए०सी० - मूल्य योजन पाठ्यक्रम |
| 9. | IAPC - Internship/Apprentice/Project/Community | (इर्न्टनिशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी |
| | Outreach | आउटरिच) |
| 10. | NCVET - National Council for Vocational Education | एन० सी० वी० ई० टी० - राष्ट्रीय व्यवसायिक |
| | and Training | शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद |

3 - परिभाषायें (Definitions) -

- 3.1 क्रैडिट (Credit) एक क्रेडिट वह ईकाई है जिसके द्वारा पाठ्यकार्य का मापन किया जाता है। यह प्रति सप्ताह में आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या को निर्धारित करता है। एक क्रेडिट प्रति सप्ताह 01 घन्टे के शिक्षण {व्याख्यान (Lecture) या अनुव्याख्यान (Tutorial)} अथवा 02 घंटे के प्रायोगिक कार्य/फील्डवर्क (Practical/Field Work) के तुल्य है।
- 3.2 उपलब्ध पाठ्यक्रम (Available Courses) अध्ययन के पाठ्यक्रम एक विषय विशेष में अध्ययन के अनुसरण को इंगित करते हैं। प्रत्येक विषय पाठ्यक्रमों की तीन श्रेणियों को प्रस्तुत करेगा, नामतः विषय विशिष्ट मूल (DSC Discipline Specific Core), विषय विशिष्ट ऐच्छिक (DSE Discipline Specific Elective) और सामान्य ऐच्छिक (GE Generic Elective)।
- 3.3 क विषय विशिष्ट मूल (DSC Discipline Specific Core) विषय विशिष्ट मूल (DSC) अध्ययन का मुख्य पाठ्यक्रम है, जिसे छात्र द्वारा अध्ययन के अपने कार्यक्रम की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। विषय विशिष्ट मूल (DSC) उस विशेष विषय के क्रैडिट (Credit) पाठ्यक्रम होंगे, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार Entry/Exit विकल्पों के साथ, छात्र द्वारा किये जा रहे अध्ययन के सत्र में उचित रूप से वर्गीकृत और व्यवस्थित किया जाएगा।
 - ख विषय विशिष्ट ऐच्छिक (DSE Discipline Specific Elective) विषय विशिष्ट ऐच्छिक यथावश्यक, उस विशेष विषय (अध्ययन के एकल विषय कार्यक्रम) या उन विषयों (अध्ययन के बहुविषयक कार्यक्रम) के क्रेडिट पाठ्यक्रमों का एक निकाय होगा, जिसे विद्यार्थी अपने विषय विशेष (Discipline Specific) से अध्ययन हेतु चुनता है। विषय विशिष्ट ऐच्छिक का एक निकाय होगा जिसमें से छात्र एक DSE का चयन कर सकता है। रूपरेखा के निर्दिष्ट विषय विशिष्ट ऐच्छिक को सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के रूप में पहचाना जायेगा।

- ग सामान्य ऐच्छिक (GE Generic Elective) सामान्य ऐच्छिक (GE Generic Elective) पाठ्यक्रमों का एक निकाय (Pool) होगा जो छात्रों को बहुविषयक या अन्तर्विषयक शिक्षा प्रदान करने के लिए है। विद्यार्थियों द्वारा सामान्य ऐच्छिक (GE Generic Elective) विषय का चुनाव इस प्रकार किया जा सकेगा कि वह विद्यार्थियों द्वारा चयनित विषय विशिष्ट मूल (DSC Discipline Specific Core) से सम्बन्धित न हो।
- घ क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC Ability Enhancement Course) क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाते हैं। वे भाषा और साहित्य एवं पर्यावरण विज्ञान तथा समग्र विकास है जो सभी विषयों के लिए अनिवार्य होंगे।
- ङ कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC Skill Enhancement Course) कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC) सभी विषयों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम हैं और इनका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है। कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों को कौशल-आधारित निर्देश प्रदान करने के लिए संघटित किये गए पाठ्यक्रमों के निकाय (Pool) से चुना जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों को 02 श्रेणियों में विभाजित किया गया है Progressive तथा Non-Progressive।
- च मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC Value Added Course) मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC) मूल्य आधारित पाठ्यक्रम हैं जो छात्रों को नैतिकता, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, संवैधानिक मूल्यों, मृदु-कौशल (Soft Skills), खेल, शारीरिक शिक्षा और ऐसे समान मूल्यों को विकसित करने के लिए हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करेंगे।

ये तीन पाठ्यक्रम सभी विभागों द्वारा विषम और सम सत्रों के समूहों में प्रस्तुत किये जाने वाले पाठ्यक्रमों का एक निकाय (Pool) होगा, जिसमें से विद्यार्थी अपने सम्बन्धित पाठ्यक्रमों (AEC,SEC,VAC) का चयन कर सकते हैं।

- 3.4 पाठचक्रम/कार्यक्रम (Programme) एक वर्ष का यू0 जी0 सिर्टिफिकेट, दो वर्ष का यू0 जी0 डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री (बी0 ए० बी0 एस-सी0, बी0 कॉम0 इत्यादि), चार वर्ष की स्नातक (आर्नस) डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (आर्नस विद रिसर्च) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जायेगी।
- 3.5 3.5.1 संकाय (Faculty)-
 - A. संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।
 - B. विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत जो संकाय व्यवस्था चल रही है वह यथावत रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जायेगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।
- 3.6 3.6.1 विषय (Subject)-
 - A. संस्कृत, हिंदी, जन्त विज्ञान, इतिहास आदि।
 - B. एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।
- 3.7 3.7.1 कोर्स /पेपर /प्रश्नपत्र (Course/Paper)-
 - A. एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।
 - B. थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

4 - न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) —

- 4.1 सभी विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठचक्रम (Minimum Common Syllabus) के रूप में उपलब्ध कराये गए पाठचक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम समान रखेंगे ताकि अर्न्तविश्वविद्यालय क्रैडिट ट्रान्सफर/ Equivalence सुगमता से संचालित हो सकें।
- 4.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक विषय (DSC/DSE/GE इत्यादि) के क्रेडिट निर्धारित किये गए हैं। सभी विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम में आन्तरिक रूप से व्याख्यानों की संख्या इत्यादि अपने स्तर से तय कर सकते हैं।

5. उद्देश्य (Scope) -

- 5.1. यह व्यवस्था Basic / Applied Science, Arts, Social Sciences & Humanities, Languages & Commerce के सभी संकायों पर लागू होगी।
- 5.2 ऐसे समस्त पाठ्यक्रम जिनके प्रवेश, परीक्षा एवं पाठ्यक्रम संरचना का निर्धारण उनकी पृथक नियामक संस्थाओं द्वारा किया जाता है ऐसे पाठ्यक्रमों पर यह व्यवस्था सम्बन्धित नियामक संस्थाओं से उचित दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् लागू की जायेगी।

6. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी -

- 6.1 यह नयी क्रेडिट व्यवस्था सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगी। जिन स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं द्वारा किया जाता है ऐसे पाठ्यक्रमों पर यह व्यवस्था सम्बन्धित नियामक संस्थाओं से उचित दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात लागू की जायेगी।
- 6.2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु नवीन क्रेडिट व्यवस्था प्रोग्नेसिव मोड (Progressive Mode) में लागू की जायेगी, जिसके दृष्टिगत वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एन0ई0पी0 के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रवेशित विद्यार्थियों पर उनके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2028-29 से लागू की जायेगी।
- 6.3 शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अन्तर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों का त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम जून, 2025 में पूर्ण होने के पश्चात इन विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अन्तर्गत प्रवेश देते हुए ऐसे विद्यार्थियों हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से लागू की जायेगी। ऐसे विद्यार्थियों हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर तथा उसके अनुरूप निर्मित पाठ्यक्रम लागू होंगे। ऐसे छात्र 03 वर्षीय स्नातक डिग्री के साथ 02 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अथवा 04 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु अर्ह होंगे। इन छात्रों को स्टैण्डअलोन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी अर्हता पूर्ण करने की स्थित में प्रवेश अनुमन्य किया जा सकेगा।

7- कोर एवं ऐच्छिक विषय (DSC/DSE/GE) -

- 7.1 ऐसे विद्यार्थी जो 03 कोर पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा।
- 7.2 विद्यार्थियों द्वारा संकाय के अन्तर्गत कोर विषयों का चयन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रुप में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप किया जाना आवश्यक होगा।
- 7.3 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय चयन की सुविधा होगी।
- 7.5 DSC/DSE/GE किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।

- 7.6 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर सामान्य एच्छिक (GE) समस्त विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन कोर विषयों के अतिरिक्त) स्ट्रक्चर में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप लेना होगा।
- 7.7 सामान्य एच्छिक (GE) का चुनाव विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए सामान्य एच्छिक (GE) की कक्षायें संकाय में संचालित उसी कोर्स कि कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।
- 7.8 विद्यार्थियों द्वारा किसी भी विषय का चयन करते समय उन विषयों हेतु पूर्वनिर्धारित अर्हता (Pre-Requisite/eligibilty) पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।

8- ए० ई० सी० - क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course)-

क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाते हैं। विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों में 04 क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (ए०ई०सी०) पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट्स का होगा।

9- एस0 ई0 सी0 कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course)-

कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC) सभी विषयों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम हैं और इनका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम 03 वर्षों (06 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool/Recognized Online Platforms में से पूर्ण करना होगा।

10- वी0 ए0 सी0 मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) -

मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC) मूल्य आधारित पाठ्यक्रम हैं जो छात्रों को नैतिकता, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, संवैधानिक मूल्यों, मृदु-कौशल (Soft Skills), खेल, शारीरिक शिक्षा और ऐसे समान मूल्यों को विकसित करने के लिए हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करेंगे। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम 02 वर्षों (04 सेमेस्ट्र्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक मूल्य योजन पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

- विद्यार्थियों को मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC) के अन्तर्गत प्रथम वर्ष किसी एक सेमेस्टर में पर्यावरण विषय (Environment) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।
- ➤ AEC, SEC एवं VAC पाठ्यक्रम हेतु Pool/Recognized Online Platforms निर्मित किये गये हैं, जो सांकेतिक हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा उनके पास उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के अनुरूप इन Pool में वर्णित विषय /पाठ्यक्रम के संचालन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। महाविद्यालय स्तर पर इन पाठ्यक्रमों के संचालन में महाविद्यालयों को अपने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool से ही विषयों /पाठ्यक्रम का चयन करना अनिवार्य होगा।

11- आई० ए० पी० सी० (इर्न्टनिशप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटिरच)/फील्डवर्क -

इर्न्टनिशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसिशिप/कम्यूनिटी आउटिरच (IAPC) पर आधारित पाठ्यक्रम हैं, जो छात्रों को इर्न्टनिशिप, प्रोजेक्ट, सोशल सर्विस, कम्यूनिटी आउटिरच पाठ्यक्रम को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर (02 सेमेस्टर) में पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का IAPC/FIELD WORK से सम्बन्धित एक पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

12- विषयों का चयन एवं क्रियान्वयन

12.1 DSC - Discipline Specific Core: स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेते समय विद्यार्थी द्वारा विषयों के चयन हेतु सर्वप्रथम संकाय चुनने के पश्चात् सम्बन्धित संकाय से 03 विषय विशिष्ट मूल (DSC) के रूप में चुने जान होंगे जो सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित ग्रुप के आधार पर चयनित किये जायेंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

इसके अतिरिक्त किसी विषय में मेजर प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी को FYUP के अन्तर्गत 80 क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होती है और यदि विद्यार्थी को विषय विशिष्ट मूल (DSC) को परिवर्तित किये जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो विद्यार्थी का किसी भी मूल विषय में मेजर पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं होगा, जिससे क्रेडिट संरचना बाधित होगी और शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होगी। अतः किसी भी विद्यार्थी का किसी भी सेमेस्टर में अपने प्रवेश के समय आवंटित किये गये विषय विशिष्ट मुल (DSC) में परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।

12.2 AEC - Ability Enhancement Course : इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को प्रारम्भिक दो वर्षों (04 सेमेस्टरों) में भाषा आधारित 02 क्रैडिट प्रति सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का प्रावधान है। िकसी भी भाषा का आधार मजबूत करने के लिये 06-08 क्रैडिट की पढ़ाई का पूर्ण किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

चतुर्थ सेमेस्टर से Reasoning and Aptitutde अथवा भाषा में से किसी एक विकल्प को चुने जाने का विकल्प विद्यार्थी के समक्ष उपलब्ध रहेगा।

स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में AEC के अन्तर्गत विद्यार्थी को सावधानीपूर्वक भाषा का चयन करना होगा, जिससे आगामी सेमेस्टर में इसे परिवर्तित करने की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि अपिरहार्य स्थिति में कोई विद्यार्थी AEC के अन्तर्गत चयनित भाषा का परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी को अपने प्रवेश के समय आवंटित किये गया क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) में मात्र प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त द्वितीय सेमेस्टर में ही परिवर्तन करने की अनुमित प्रदान की जा सकती है। परन्तु क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) प्रोग्रेसिव मोड पर आधारित पाठ्यक्रम है, अतः विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त परिवर्तित कर चुने गये नये AEC के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा साथ ही चुने गये नये AEC के प्रथम सेमेस्टर के क्रैडिट को पृथक से बैकलॉग के माध्यम से अर्जित किया जाना होगा। प्रथम सेमेस्टर में पूर्व में चयनित AEC के अर्जित क्रेडिट मान्य नहीं होंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे साथ ही सम्बन्धित AEC में सीट निर्धारण भी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा।

12.3 VAC - Value Added Course : इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को प्रारम्भिक दो वर्षी (04 सेमेस्टरों) में 02 क्रैडिट प्रति सेमेस्टर के मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का प्रावधान है। मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) को विद्यार्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी पूल से चयन कर सकता है, उसका प्रगतिशील (Progressive) चयन अनिवार्य नहीं होगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

12.4 SEC - Skill Enhancement Course : इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को प्रारम्भिक तीन वर्षों (06 सेमेस्टरों) में 02 क्रैडिट प्रति सेमेस्टर के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का प्रावधान है। विद्यार्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी पूल से SEC का चयन कर सकता है। विद्यार्थी यदि प्रवेश के समय प्रगतिशील स्वभाव (Progressive) के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) का चयन करता है तथा सेमेस्टर पूर्ण करने के उपरान्त वह उसे परिवर्तित करना चाहता है तो उसे ऐसे कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) का चयन करना होगा जोकि प्रगतिशील स्वभाव का न हो। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) के चयन के समय विद्यार्थी को अपने मूल विषय से भिन्न प्रकृति के पाठ्यक्रमों का चयन किये जाने के लिये प्रेरित किया जाना होगा, जिससे कि वह अपने मूल विषय के अतिरिक्त कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) का अध्ययन कर सके।

- 12.5 **AEC/VAC/SEC** का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन : कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course), मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) तथा क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार तय करेंगे। सम्बन्धित कोर्स (AEC/SEC/VAC) में सीट निर्धारण भी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप किया जा सकेगा।
- 12.6 Nomenclature of Certificate/Diiploma/Degree : प्रत्येक अकादिमक वर्ष के उपरान्त कार्यक्रम को पूर्ण करने पर (निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने पर) औपचारिक प्रमाणन की आवश्यकता होगी। इसके लिये एक मानकीकृत (Standard) नामकरण प्रणाली को अपनाये जाने का प्रस्ताव है। उक्त नामकरण प्रणाली में कार्यक्रम, कोर कोर्स, एवं AEC/SEC/VAC के शीर्षक एवं अर्जित क्रेडिट का उल्लेख होगा।

उदाहरण - एक वर्ष - बी० एस-सी० फिजिकल साईन्स, कोरः भौतिकी, रसायन, AEC - अंग्रेजी, SEC -साईटिफिक राईटिंग, VAC - पयावरण विज्ञान - कुल क्रेडिट - 44

तीन वर्ष के पश्चात् स्नातक, चतुर्थ वर्ष (FYUP के अन्तर्गत) Honours/Honours with Major-Minor/Honours with Research इत्यादि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा CCFUP में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप प्रदान किये जायेंगे।

- 12.7 IAPC & Fieldwork : इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को स्नातक तृतीय वर्ष के पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रैडिट का एक-एक इर्न्ट्निशप अथवा अप्रेन्टिसिशप अथवा प्रोजेक्ट तथा कम्यूनिटी आउटरीच अथवा फील्डवर्क (IAPC & Fieldwork) का चयन करना होगा। इर्न्ट्निशिप, अप्रेन्टिसिशप, प्रोजेक्ट तथा कम्यूनिटी आउटरीच तथा फील्डवर्क (IAPC & Fieldwork) Application based होना चाहिए। IAPC & Fieldwork के मूल्यांकन को निष्पक्ष एवं सन्तुलित बनाये जाने के सन्दर्भ प्रस्ताव है कि इन पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन हेतु त्रिस्तरीय मूल्यांकन संरचना लागू की जायेगी-
 - सुपरवाईजर/मेन्टॉर-IAPC & Fieldworkकी प्रगति एवं निष्पादन का मूल्यांकन करेंगे।
 - 2. विद्यार्थी द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी तथा मूल्यांकन हेतु Presentation भी अनिवार्य होगा।

प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त मुल्यांकन व्यवस्था तय करेंगे।

- 12.8 Minor Project: स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष (सेमेस्टर) में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को IAPC & Fieldwork के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मूलभूत ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी तृतीय वर्ष में लागू IAPC & Fieldwork को कुशलतापूर्वक सम्पादित कर सकें। स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों को लघु परियोजनाओं का ज्ञान अर्जित किये जाने हेतु द्वितीय वर्ष में किसी एक सेमेस्टर में विद्यार्थी को SEC के अन्तर्गत चयनित पाठ्यक्रमों में एक लघु शोध प्रबन्ध (Minor Project) पूर्ण करना आवश्यक होगा।
- Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project : इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 06 क्रैडिट प्रति सेमेस्टर के Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project का अध्ययन करने का प्रावधान है। चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के प्रारम्भ में विद्यार्थियों को Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project का Topic आवंटित किया जायेगा। चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में Dissertation/ Entrepreneurship/ Academic Project के मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा Outcome निर्धारित किये जायेंगे तथा विद्यार्थी द्वारा इन Outcomes को प्रत्येक सेमेस्टर में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा जिसके आधार पर सम्बन्धित सेमेस्टर हेतु मूल्यांकन किया जायेगा। Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project की रिपोर्ट विद्यार्थी द्वारा वर्ष के अन्त में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा तथा मूल्यांकन हेतु Presentation भी अनिवार्य होगा।

प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मूल्यांकन विधि तय करेंगे।

- 12.10 Data Science: कला वर्ग कि विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम दो वर्षों में किसी एक समेस्टर में SEC के अन्तर्गत डॉटा साइन्स (Data Science) से सम्बन्धित कोई एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को डेटा साईन्स का पाठ्यक्रम अध्ययन करने हेतु अतिरिक्त क्रैडिट अर्जित करने के आधार पर भी प्रेरित किया जा सकता है। जिस हेतु विद्यार्थियों को अतिरिक्त अर्जित क्रैडिट के अतिरिक्त Certification भी प्रदान किया जा सकता है। जिसका वर्णन विद्यार्थी की डिग्री में भी अंकित किया जा सकता है।
- 12.11 Entrepreneurship/Data Analytics/Artificial Intelligence पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि -
 - क. 04 क्रैडिट के GE के रूप में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जा सकते हैं।
 - ख. GE के अन्तर्गत 28 क्रैडिट पूर्ण किये जाने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत CCFUP में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप माईनर का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकेगा।
- 12.12 Online/MOOC's पाठ्यक्रमों द्वारा अर्जित अतिरिक्त क्रैडिट्स के सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि-
 - क. क्रैंडिट संरचना में FYUP के अन्तर्गत डिग्री हेतु 176 क्रैंडिट अर्जित किये जाने अनिवार्य हैं।
 - ख. Online/MOOCs के माध्यम से अतिरिक्त क्रैडिट को शामिल किये जाने हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने स्तर पर नीति निर्धारण करेंगे।
 - ग. आवश्यकतानुसार इन पाठ्यक्रमों द्वारा अर्जित क्रैडिट्स को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर विस्तृत नीति तैयार की जानी होगी।
 - घ. इन क्रैडिट्स को सीधे Academic Bank of Credits (ABC) में जोड़ा जा सकता है।
 - ङ अतिरिक्त अर्जित क्रैडिट्स का उपयोग मैरिट निर्धारण हेतु नहीं किया जा सकेगा।

12.13 सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षाणिक सन्न में दोनों सेमेस्टरों में मिलाकर न्यूनतम 26 क्रैडिट अर्जित किया जाना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि विद्यार्थी दोनों सेमेस्टरों में शैक्षणिक रूप से सिक्रिय रहे एवं उनका पठन-पाठन नियमित रूप से संचालित होता रहे। यह नियम समस्त पाठ्यक्रमों एवं समस्त वर्गों पर समान रूप से लागू होगा।

13- क्रेडिट संरचना (Credit Framework) [Multidisciplinary Courses of Study]

| | | | | Illustratio | n - 1: | | | |
|-----------|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------|
| | | Mu | ıltidisc | iplinary Co | ourses of | Study | | |
| | | | [Thr | ee core Di | sciplines | 1 | | |
| f | or R.cor | n DSC | _ | | | th DSC 1 2 3 | /Allied | |
| | or bicor | ii DJC | / IDIC 3 | | • | tii bac i z a | // tillea | |
| | | EL .: | | Discipl | | | | |
| Semester | Core | Elective | Generic | Ability | Skill | Internship/ | Value | Total |
| | (DSC) | (DSE) | Elective | Enhancement | Enhancement | Apprentice | added | Credits |
| | | | (GE) | Course (AEC) | Course (SEC) | ship/Project/Field | course | |
| | Dissiplins | | Classia | | | Work (2) | (VAC) | |
| | Discipline A1- (4) | | Choose | Chassas | Choose one | | Choose | |
| | | | one | Choose one | | | one | 22 |
| 1 | Discipline | | from a | from a pool of AEC | from a pool of courses | | from a | Credits |
| | B1- (4) | | pool of courses | courses (2) | (2) | | pool of courses | cieuits |
| | Discipline C1- (4) | | GE-1 (4) | Courses (2) | (2) | | (2) | |
| | Discipline | | Choose | | | | (2) | |
| | A2- (4) | | one | | | | Choose | |
| | Discipline | | from a | Choose one | Choose one | | one | |
| II | B2- (4) | | pool of | from a pool | from a pool | | from a | 22 |
| " | Discipline | | courses | of AEC | of courses | | pool of | Credits |
| | C2- (4) | | GE-2 (4) | courses (2) | (2) | | courses | |
| | C2- (4) | | GL-2 (+) | | | | (2) | |
| Student | s on exit sh | all he awa | rded Und | ⊥ eraraduate Cer | tificate (in the | Field of Multidise | cinlinary | Total = |
| Statement | | | | requisite 44 cr | | | rpimary | 44 |
| | Discipline | | oose | | | | | |
| | A 3 (4) | from | n pool | | | | Choose | |
| | Discipline | | urses, | Choose one | | | one | |
| | B 3 (4) | DSE | A/B/C | from a pool | | 656 (2) | from a | |
| III | Discipline | (4) | OR | of AEC | Choose | e one SEC (2) | pool of | 22 |
| | C 3 (4) | Choose | from pool | courses (2) | | | courses | credits |
| | | of cours | ses, GE -3 | | | | (2) | |
| | | , | 4) | | | | | |
| | Discipline | I . | se from | | | | | |
| | A 4 (4) | | ol of | Choose one | | | | |
| | Discipline | I . | es, DSE /C (4) | from a pool of | | | Choose | |
| N. | B 4 (4) | 1 | /C (4) DR | AEC courses | Ch- | CEC /3\ | one from | 22 |
| IV | Discipline C 4 (4) | 1 | from pool | (2) Or | Choose | e one SEC (2) | a pool of courses | Credits |
| | C 7 (7) | I . | ses GE - 4 | Reasoning & | | | (2) | |
| | | I | (4) | Aptitude | | | (-) | |
| | | ` | | | | | | |
| Studen | ts on exit sh | all be aw | arded Un | dergraduate D | iploma (in the | Field of Multidisc | iplinary | Total = |
| | | | | | | on of Semester IV | | 88 |
| Semester | Core | Elective | Generic | Ability | Skill | Internship/ Val | ue added cour | se Tot |

| | (DSC) | (DSE) | Elective | Enhancement | Enhancement | Apprentice | (VAC) | Credits |
|------------|----------------|----------|-----------------|--------------------|------------------------|---|--------------------------|---------|
| | | | (GE) | Course (AEC) | Course (SEC) | ship/Project (4) | | |
| | Discipline | | se one | | | | | |
| | A 5 (4) | l | pool of | | | Internship/ | | |
| | Discipline | | es DSE | | | Apprenticeship/ | | |
| v | B 5 (4) | | C- (4) | | Choose one | Project/Commu | | 22 |
| | | | OR one from | | SEC (2) | nity outreach | | credits |
| | Discipline | | f courses | | | /Field work (4) | | |
| | C 5 (4) | · · | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
| | Dissiplina | | 5 (4) se one | | | | | |
| | Discipline | | pool of | | | | | |
| | A 6 (4) | l | es DSE | | | Internship/ | | |
| | Discipline | | C- (4) | | Choose one | Apprenticeship/ | | 22 |
| VI | B 6 (4) | l | OR . | | SEC (2) | Project/Commu | | credits |
| | Dissiplina | Choose | one from | | JEC (2) | nity outreach/ | | credits |
| | Discipline | a pool o | f courses | | | Field work (4) | | |
| | C 6 (4) | l ' | 6 (4) | | | | | |
| Studei | nts on exit : | l | | Bachelor of (i | in the Field of | Multidisciplina | rv Studv) after | Total= |
| | | | | • | | of Semester V | | 132 |
| Semester | Core (DSC) | | re (DSE) | Ability | Skill | Internship/ | Dissertation | Total |
| | | | Or | Enhancement | Enhancement | Apprentice | | Credits |
| | | Generic | Elective | Course (AEC) | Course (SEC) | ship/Project (2) | | |
| | | (0 | GE) | | | | | |
| | | | sethree | | | | | |
| | | | 4)courses | | | | Dissertation | |
| | | | OR | | | | on Major | |
| | | | two DSE- | | | | (6) OR Dissertation | |
| VII | | l , , | nd one GE | | | | on Minor | 22 |
| VII | DSC-(4) | l | ourse OR | | | | (6) OR | credits |
| | | 1 | one DSE | | | | Academic project/ | |
| | | | two GE | | | | Entrepreneurship | |
| | | | courses | | | | (6) | |
| | | (Tota | al= 12) | | | | (5) | |
| | | Choo | osethree | | | | | |
| | | | E (3x4) | | | | Discount time | |
| | | | irses OR | | | | Dissertation on Major | |
| | | Choose | two DSE | | | | (6) OR | |
| | | -(2x4) | one GE | | | | Dissertation | |
| | | l | ourse | | | | on Minor | 22 |
| VIII | D SC- (4) | |)R | | | | (6) OR | credits |
| | | | one DSE | | | | Academic project/ | |
| | | | Itwo GE | | | | Entrepreneurship | |
| | | ١ , , | courses | | | | (6) | |
| | | ' ' | al=12) | | | | | |
| Stude | nts on exit sh | <u> </u> | | elor of (in the Fi | L eld of Multidisci | l plinary Study witl | Major/Minor | |
| | | | | | | h) after securing t | | |
| (.101104 | | | | on completion | | | | Total = |
| | | | creares | Or | o. Semester VIII | | | 176 |
| If a stude | ent onts for | two-vest | r PG nrogra | | e option to obta | in a PG dinloma i | n the core subject | 1,0 |
| ii a stade | | | | | | ster of the PG pro | | |
| | upon can | 44 010 | carts at tile | CONCIUSION OF U | ic accord acriles | ter or the ropio | Bruill. | |

| Semester | Core (DSC) | Elective (DSE) | Generic Elective (GE) | Ability Enhancement Course (AEC) | Skill Enhancement Course (SEC) | Internship/ Apprentice ship/Project (2) | Dissertation | Total Credits |
|----------|---------------|---|--|--|--------------------------------------|--|---|------------------|
| IX | DSC-(4) | DSE Choose and of (4) or Choose The country of the | e three (3x4) urses DR se two (2x4) une GE ourse DR se one 4) and E (2x4) rses = 12) | | | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship (6) | 22 credits |
| x | DSC-(4) | thre (i) cour Choos D SE (i) cou Choos DSE (i) two (2) cou | -(2x4) GE (4) Irse R | | | | Dissertati on on Major (6) OR Dissertati on on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship (6) | 22 credits |
| Stu | dents on ex | xit shall b | | s in Core subj n completion o | | ing the requisit | | Total = 220 |

Important Note:

- 1- Students studying DSEs offered by any Discipline other than his/her Core Discipline will be treated as GE for him/her.
 - जो विद्यार्थी अपने कोर विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय विशिष्ट ऐच्छिक लेता है तो ऐसा विषय विशिष्ट ऐच्छिक, सामान्य ऐच्छिक माना जायेगा।
- 2- Honours Degree: To pursue an Honours degree in a field of multidisciplinary study, candidates will have to choose, in the fourth year, only one of the disciplines (either A or B or C).
 - आनर्स उपाधि यदि कोई विद्यार्थी बहुविषयक अध्ययन में ऑनर्स उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी को चौथे वर्ष में A अथवा B अथवा C में से एक विषय लेना होगा।
- 3- Major and Minor shall be awarded on fulfilment of the following conditions. Major -> 80 credits, Minor -> 28 credits
 - Example -
 - B.Sc. Physical Sciences programme with Physics, Mathematics, and Chemistry as core disciplines.

Case I: He/She shall get Major in Physics, on successful completion of VIII semester, if he/she earns a minimum of 80 credits in Physics from Eight DSCs and at least Nine DSEs of Physics and writes a dissertation in Physics.

Advice: Students are advised to choose the discipline in which they wish to Major and must study at least Three DSEs of that discipline in the first three years. Like in this example, the student must decide earlier and study three DSEs of Physics in the first three years as only a maximum of six DSEs are available in the fourth year. Similarly, if the student wants to minor in any of the remaining two disciplines, he/she should study one DSE of that discipline in the first three years. He/She shall get a Minor in Mathematics, if he/she earns a minimum of 28 credits from Six DSCs and one DSE of Mathematics. Or He/She shall get a Minor in Chemistry, if he/she earns a minimum of 28 credits from Six DSCs and One DSE of Chemistry. Case II: If a student doesn't do a dissertation in Physics but in other disciplines, say Mathematics or Chemistry, or does Academic Project or Entrepreneurship, then he/she will not be awarded Major in Physics, as he/she will be unable to obtain 80 credits. In such cases, he/she will be awarded B.Sc. (Honours) Physical Sciences.

विद्यार्थियों को निम्नांकित शर्तों को पूर्ण करने पर ही मेजर तथा माईनर प्रदान किया जायेगा -मेजर -> 80 क्रेडिट्स, माईनर -> 28 क्रेडिट्स।

उदाहरण-

बी० एस-सी० फिजिकल साईन्स पाठ्यक्रम - जिसमें भौतिकी, गणित तथा रसायन विज्ञान का विद्यार्थी द्वारा कोर विषय के रूप में चयन किया गया है।

केस -1: विद्यार्थी को आठवें सेमेस्टर के सफल समापन पर भौतिकी का मेजर केवल इसी शर्त पर प्रदान किया जायेगा जब उसने 08 डी0 एस0 सी0 तथा कम से कम 09 डी0 एस0 ई0 एवं 01 शोध प्रबन्ध भौतिकी विषय के रूप में चयन कर न्यूनतम 80 क्रेडिट प्राप्त कर लिये हों।

सलाह – विद्यार्थियों को सलाह दी जाती हैं कि वे उस विषय को चुनें जिसमें वे मेजर करना चाहते हैं, जिसमें विद्यार्थी को प्रथम तीन वर्षों में उस विषय में कम से कम 03 डी0 एस0 ई0 का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिये विद्यार्थी को पहले निर्णय लेना होगा और पहले तीन वर्षों में भौतिकी के तीन डी0 एस0 ई0 का अध्ययन करना होगा क्योंकि चतुर्थ वर्ष में अधिकतम 06 डी0 एस0 ई0 उपलब्ध है। इसी प्रकार, यदि छात्र शेष 02 विषयों में से किसी में माईनर करना चाहता है तो उसे पहले तीन वर्षों में उस विषय के 01 डी0 एस0 ई0 का अध्ययन करना होगा। यदि वह 06 डी0 एस0 सी और गणित में न्यूनतम 28 क्रेडिट अर्जित करता है, तो उसे गणित में माइनर मिलेगा। या यदि वह रसायन विज्ञान के 06 डी0 एस0 ई0 और 01 डी0 एस0 ई0 से न्यूनतम 28 क्रेडिट अर्जित करता है, तो उसे रसायन विज्ञान में माईनर मिलेगा।

- केस 2 : यदि कोई छात्र भौतिकी में शोध प्रबंध नहीं करता है, लेकिन अन्य विषयों, जैसे गणित या रसायन विज्ञान या अकादिमक परियोजना या उद्यमिता करता है तो उसे भौतिकी में मेजर प्रदान नहीं किया जायेगा क्योंकि वह 80 क्रेडिट अर्जित करने में असमर्थ होगा। ऐसे मामलों में उसे बी0 एस-सी0 ऑनर्स की उपाधि फिजिकल साईन्सेज में प्रदान की जायेगी।
- 5- त्रीवर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों हेतु स्नातक स्तर का चतुर्थ वर्ष स्नातकोत्तर स्तर के प्रथम वर्ष के समतुल्य होगा।
- 6- चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) पूर्ण करने वाले विद्यार्थी स्नातकोत्तर स्तर के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह माने जायेगे।

| Bac | helor of | (Field o | of Study/ | Discipline) (| Hons.) [sin | gle core [| Discipline | s] | |
|------------|------------------------------------|---|--|--|---|---|---|-------------------|--|
| emester | Core (DSC) | Elective (DSE) | Generic Elective (GE) | Ability Enhancement Course (AEC) | Skill Enhancement Course (SEC) | Internship/ Apprentice ship/Project/Fi eld Work* (2) | Value added course (VAC) | Total Credits | |
| ı | DSC - 1(4) DSC - 2(4) DSC - 3(4) | | Choose one from a pool of courses GE-1 (4) | Choose one from a pool of AEC courses (2) | Choose one from a pool of courses (2) | | Choose one from a pool of courses (2) | 22 credits | |
| II | DSC - 4(4) DSC - 5(4) DSC - 6(4) | | Choose one from a pool of courses GE-2(4) | Choose one from a pool of AEC courses (2) | Choose one from a pool of courses (2) | | Choose one from a pool of courses (2) | 22 credits | |
| Stud | | | warded Unde | ergraduate Certi Juisite 44 credit | | | | Total = | |
| | | | | juisite 44 creait | s in semesiers | 1 ana 11 | | 44 | |
| III | DSC - 7(4) DSC - 8(4) DSC -9 (4) | fron course Choose o | ose one n pool of es, DSE – 1 (4) OR one from pool rses, GE -3 | Choose one from a pool of AEC courses (2) | Inter Appren Project/C Outi | one SEC Or nship/ ticeship/ ommunity reach | Choose one from a pool of courses (2) | 22 credits | |
| | DSC - 10(4) | Choose o | (4)** one from pool | | (IAPC) Choose | one SEC | | | |
| IV | DSC - 11(4) | in the | or, DSE – 2 (4) OR alternative | Choose one from a pool of AEC courses | Or Internship/ Apprenticeship/ Project/Community | | Ohoose one from a pool of courses | n 22 f credits | |
| | DSC - 12(4) | l | rses GE - 4 (4)** | (2) | Outi (IAPC) | reach) (2)* | (2) | | |
| Stude | | | _ | aduate Diploma (| • | | ne) after | Total = | |
| | DSC - 13(4) | Choose | e requisite 88 | credits on compl | I | | | 88 | |
| V | DSC - 15(4) DSC - 15(4) | one from a pool of courses DSE - 3 | Choose one from a pool of courses GE-5 (4) | | Choose of O Internship/Ap Project/Co | R prenticeship/ ommunity each | | 22 credits | |
| | DSC - 16(4) | (4) Choose | | | (IAPC) Choose | | | | |
| VI | DSC - 17(4) | one from a pool of courses DSE - 4 (4) | Choose one from a pool of courses GE-6 (4) | | O 'Interr Apprent Project/R Community (2)* | R nship/ iceship/ esearch/ v Outreach | | 22 credits | |
| Students o | n exit shall be | | | the Field of Study ompletion of Seme | /Discipline) afte | | equisite 132 | Total = | |

| Semester | Core | Elective | Generic | Ability | Skill | Internship/ | Dissertation | Total |
|--------------|------------------------|--|--|---|---------------------------------------|------------------|--|----------------|
| 5011105001 | (DSC) | (DSE) | Elective | Enhancement | Enhancement | Apprentice | Etc. | Credits |
| | (030) | (032) | (GE) | Course (AEC) | Course (SEC) | ship/Project | | Cicuits |
| | | | (GL) | Course (ALC) | Course (SEC) | (2) | | |
| | | | | | | (2) | Dissertation | |
| | | Choose | three DSE | | | | on Major (6) | |
| | | (3x4) | courses OR | | | | OR OR | |
| | | 1 | e two DSE- | | | | Dissertation | |
| | DSC-19 | | d one GE (4) | | | | on Minor (6) | 22 |
| VII | (4) | ' ' | OR Choose | | | | OR | credits |
| *" | (4) | | (4) and two | | | | Academic | credits |
| | | | (4) courses | | | | project/ | |
| | | | :al = 12) | | | | Entrepreneu | |
| | | (101 | .dl = 12) | | | | rship (6) | |
| | | | | | | | Dissertation | |
| | | Choose | three DSE | | | | on Major (6) | |
| | | (3x4) (| courses OR | | | | OR | |
| | | | e two DSE- | | | | Dissertation | |
| | DSC-20 | (2x4) an | d one GE (4) | | | | on Minor (6) | 22 |
| VIII | (4) | l | OR Choose | | | | OR | credits |
| | (, | | (4) and two | | | | Academic | |
| | | | (4) courses | | | | project/ | |
| | | | al = 12) | | | | Entrepreneu rship | |
| | | (10) | 12) | | | | (6) | |
| Students, on | exit, shall be av | varded a Bac | helor of (in the F | ield of Study/Discipl | ine) — either Hon e | ours with Resear | | |
| | | · caco co co zone | meror or (mr eme r | icia of Statey/Discipl | mic) ciuici iloii | | cii / Zicatociiiic | T-4-1 |
| | | | • | ch in Discipline-1 (N | • | | | Total = |
| | | hip, or Hono | ours with Resear | | Iajor) with Discipl | | | Total = 176 |
| | | hip, or Hono the | ours with Resear requisite 176 cred | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | after securing Dissertation | |
| | | the Choose | ours with Resear requisite 176 cred three DSE | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) | |
| | | Choose (3x4) | ours with Researce three DSE courses OR | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) | |
| | | Choose (3x4) | ours with Resear requisite 176 cred three DSE | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation | |
| Projects / I | Entrepreneurs DSC-21 | Choose (3x4) (Choose | ours with Researce three DSE courses OR | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) | 176 |
| | Entrepreneurs | Choose (3x4) (2x4) an | e three DSE courses OR e two DSE- | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR | 176 |
| Projects / I | Entrepreneurs DSC-21 | Choose (3x4) (Choose (2x4) an course | e three DSE courses OR e two DSE- d one GE (4) | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) | 176 |
| Projects / I | Entrepreneurs DSC-21 | Choose (3x4) o Choose (2x4) an course one DSE | e three DSE courses OR e two DSE- d one GE (4) OR Choose | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic | 176 |
| Projects / I | Entrepreneurs DSC-21 | Choose (3x4) (Choose (2x4) an course one DSE | e three DSE courses OR e two DSE- d one GE (4) OR Choose | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ | 176 |
| Projects / I | Entrepreneurs DSC-21 | Choose (3x4) (Choose (2x4) an course one DSE | e three DSE courses OR e two DSE- d one GE (4) OR Choose (4) and two | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6) | 176 |
| Projects / I | Entrepreneurs DSC-21 | Choose (3x4) a Choose (2x4) an course one DSE GE (2x (tot | e three DSE courses OR e two DSE- d one GE (4) OR Choose (4) and two (4) courses (al = 12) | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6) Dissertation | 176 |
| Projects / I | Entrepreneurs DSC-21 | Choose (3x4) or Choose (2x4) an course one DSE GE (2x (tot | e three DSE courses OR e two DSE-d one GE (4) OR Choose (4) and two (4) courses cal = 12) | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6) Dissertation on Major (6) | 176 |
| Projects / I | Entrepreneurs DSC-21 | Choose (3x4) or Choose (2x4) an course one DSE GE (2x (tot | e three DSE courses OR e two DSE-d one GE (4) OR Choose (4) and two (4) courses cal = 12) | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6) Dissertation on Major (6) OR | 176 |
| Projects / I | DSC-21 (4) | Choose (3x4) an course one DSE GE (2x (tot | e three DSE courses OR e two DSE- d one GE (4) OR Choose (4) and two (4) courses (al = 12) e three DSE courses OR e two DSE- | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6) Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Major (6) OR Dissertation | 22 credits |
| Projects / I | DSC-21 (4) | Choose (3x4) an course one DSE GE (2x (tot | e three DSE courses OR e two DSE-d one GE (4) OR Choose (4) courses cal = 12) e three DSE courses CR two CR courses CR two DSE-d one GE (4) | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6) Dissertation on Major (6) OR | 22 credits |
| Projects / I | DSC-21 (4) | Choose (3x4) or Choose (2x4) an course (5x4) or Choose (3x4) or Choose (3x4) or Choose (2x4) an course | e three DSE courses OR e two DSE-d one GE (4) OR Choose (4) courses Cal = 12) e three DSE courses Cal = 12) e three DSE courses Cal = 12) e three DSE courses OR e two DSE-d one GE (4) OR Choose | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6) Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) | 22 credits |
| Projects / I | DSC-21 (4) | Choose (3x4) (Choose (2x4) an course one DSE (3x4) (Choose (3x4) (course course course one DSE | e three DSE courses OR e two DSE-d one GE (4) OR Choose (4) courses OR e three DSE (4) and two (4) courses Cal = 12) The three DSE courses OR e two DSE-d one GE (4) OR Choose (4) and two | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6) Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ | 22 credits |
| Projects / I | DSC-21 (4) | Choose (3x4) of Choose (2x4) an course one DSE (3x4) of Choose (3x4) of Choose (3x4) of Choose (2x4) an course one DSE GE (2x | e three DSE courses OR e two DSE-d one GE (4) OR Choose (4) courses OR e two DSE-d one GE (4) OR Choose (4) one GE (4) one GE (4) one GE (4) one GE (4) courses | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6) Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu | 22 credits |
| Projects / I | DSC-21 (4) | Choose (3x4) of Choose (2x4) an course one DSE (3x4) of Choose (3x4) of Choose (3x4) of Choose (2x4) an course one DSE GE (2x | e three DSE courses OR e two DSE-d one GE (4) OR Choose (4) courses OR e three DSE (4) and two (4) courses Cal = 12) The three DSE courses OR e two DSE-d one GE (4) OR Choose (4) and two | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl | | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6) Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Major (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship | 22 credits |
| Projects / I | DSC-21 (4) DSC-22 (4) | chip, or Hono the Choose (3x4) a Choose (2x4) an course one DSE GE (2x (tot) Choose (3x4) a Choose (2x4) an course one DSE GE (2x (tot) | e three DSE courses OR e two DSE-d one GE (4) OR Choose (4) courses OR e two DSE-d one GE (4) courses | ch in Discipline-1 (Mits on completion of | Iajor) with Discipl Semester VIII. | ine-2 (Minor) — | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6) Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Entrepreneu rship (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6) | 22 credits |
| Projects / I | DSC-21 (4) DSC-22 (4) | chip, or Hono the Choose (3x4) a Choose (2x4) an course one DSE GE (2x (tot) Choose (3x4) a Choose (2x4) an course one DSE GE (2x (tot) | e three DSE courses OR e two DSE-d one GE (4) OR Choose (4) and two (4) courses OR e two DSE-d one GE (4) OR Choose (4) and two (4) courses OR e two DSE-d one GE (4) OR Choose (4) and two (4) courses (4) and two (4) course | ch in Discipline-1 (M | Iajor) with Discipl Semester VIII. | ine-2 (Minor) — | Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6) Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Entrepreneu rship (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6) | 22 credits |

^{*} There shall be choice in III, IV, V and VI Semesters to choose either one 'SEC' or in the alternative 'Internship/Apprenticeship/Project/Community Outreach' in each Semester for two credits each.

14- मान्यता प्राप्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (Recognized Open Online Courses)

- 14.1 The University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM) Regulations, 2021 have been notified in the Gazette of India, which now facilitates an institution to allow up to 40 per cent of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online learning courses offered through the SWAYAM platform. Universities with approval of the competent authority may adopt SWAYAM Courses for the benefit of the students. A student will have the option to earn credit by completing quality-assured MOOC programmes offered on the SWAYAM portal or any other online educational platform approved by the UGC/regulatory body from time to time.
- 14.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के स्थान पर भारत सरकार / यू० जी० सी० / उत्तराखण्ड शासन / विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म (SWAYAM/MOOCS इत्यादि) के माध्यम से भी 40% समान क्रेडिट के विषयों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा। ऐसे विषयों का चयन भारत सरकार / यू० जी० सी० / उत्तराखण्ड शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्गत होने वाले दिशा—निर्देशों के अन्तर्गत ही मान्य होगा तथा सम्बन्धित विभागों को ऐसे ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म से चयनित किये जाने वाले विषयों को अपने सम्बन्धित सक्षम समिति (Competent Authority) इत्यादि से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

15- क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण -

- 15.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।
- 15.2 प्रैक्टिकल / इर्न्टनिशिप / फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इर्न्टनिशिप / फील्ड वर्क आदि कराना होगा।
- 15.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडिमक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे।
- 15.4 विद्यार्थी न्यूनतम 44 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 88 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 176 क्रेडिट अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक (ऑनर्स) डिग्री, न्यूनतम 220 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 44 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 44 क्रेडिट को खाते में रि—क्रेडिट (re-credit) करेगा, जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष में 88 (44 + 44) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है।

- 15.5 स्नातक स्तर पर तीन वर्ष में विद्यार्थी DSC/DSE/GE विषयों के कुल केंडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत केंडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।
- 15.6 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट / डिप्लोमा ले कर अपने केडिट रि—केडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि—केडिट (re-credit) किए गये केडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।
- 15.7 समस्त DSC, DSE एवं GE हेतु नवीन क्रेडिट संरचना में 04 क्रेडिट निर्धारत हैं। ऐसे विषय जिनमें सैद्धान्तिक (Theory) एवं प्रयोगात्मक (Practical) घटक सम्मिलित हैं उनमें सैद्धान्तिक (Theory) एवं प्रयोगात्मक (Practical) घटकों का क्रेडिट निर्धारण उन विषयों के विस्तृत पाठ्यक्रम में वर्णित क्रेडिट व्यवस्था के आधार पर होगा।
- 15.8 समस्त AEC, VAC, एवं SEC हेतु नवीन क्रेडिट संरचना में 02 क्रेडिट निर्धारत हैं।
- 15.9 IAPC/FIELD WORK हेतु नवीन क्रेडिट संरचना में 04 क्रेडिट निर्धारत हैं।
- 15.10 ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी एक विभाग विशेष द्वारा संचालित नहीं होते हैं उनकों संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर एक Multidisciplinary, Board of Studies का गठन कर अनुमोदित कराया जाना आवश्यक होगा।

16- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली –

स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

| लेटर ग्रेड | विवरण | प्रतिशत अंकों की | ग्रेड पॉइंट |
|------------|---------------|------------------|-------------|
| | | सीमा | |
| О | Outstanding | 91-100 | 10 |
| A+ | Excellent | 81-90 | 9 |
| A | Very Good | 71-80 | 8 |
| B+ | Good | 61-70 | 7 |
| В | Above Average | 51-60 | 6 |
| С | Average | 41-50 | 5 |
| P | Pass | 33-40 | 4 |
| F | Fail | 0-32 | 0 |
| AB | Absent | Absent | |

17- उत्तीर्ण प्रतिशत —

- 17.1 उपरोक्त तालिका में DSC, DSE and GE विषयों का प्रत्येक कोर्स / पेपर सभी (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल पृथक–पृथक) Credit course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 33 प्रतिशत ही होगा।
- 17.2 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाट्यक्रमों के सभी विषयों में DSC/DSE/GE के प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (Continious Internal Evaluation) व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

- 17.3 AEC/SEC/VAC/Dissertation/IAPC/Field Work इत्यादि के प्रत्येक कोर्स में उत्तीर्ण होने हेतु 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक होगा तथा इनकी परीक्षा एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया सम्बन्धित विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित की जायेगी।
- 17.4 किसी भी कोर्स / पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में पृथक से कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत अंक मिलते हैं. तब भी वह उत्तीर्ण होगा।
- 17.5 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रत्येक कोर्स का उत्तीर्ण प्रतिशत 33 होगा।
- 17.6 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिये जायेंगे।
- 17.7 मूल्यांकन एवं परीक्षाफल के सम्बन्ध में नीति निर्धारण विश्वविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।

18 - कक्षान्नोति (Promotion)

- 18.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) से अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।
- 18.2 वर्तमान सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नित निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी
 - विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) केडिटस् का न्यूनतम 26 क्रैडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों।

19 - बैक पेपर परीक्षा —

- 19.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।
- 19.2 विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी। अर्थात सम सेमेस्टर की बैक परीक्षा सम सेमेस्टर के साथ और विषम सेमेस्टर की बैक परीक्षा विषम सेमेस्टर के साथ।
- 19.3 विद्यार्थी को बैक पेपर हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो तत्समय संचालित सम्बन्धित सेमेस्टर में लागू है।
- 19.4 विद्यार्थी बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक दे सकता है।
- 19.5 किसी भी पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की स्पेशल बैक परीक्षा अनुमन्य नहीं होगी।

20 - काल अवधि -

किसी भी पाठ्यक्रम (UG Certificate/UG Diploma/UG Degree/UG Degree Honours/PG Degree) को पूर्ण करने के लिये अधिकतम काल अवधि N + 02 वर्ष होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा—निर्देश संख्या — D.O.No.F.12-1/2015 (CPP-II) दिनांक 15th October, 2015 के क्रम में अधिकतम 01 वर्ष काल अवधि विनिर्दिष्ट उपनियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

काल अवधि के सम्बन्ध में NEP के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा Expiry of Credits से सम्बन्धित प्रावधान अंतिम रूप से मान्य होंगें।

21- SGPA एवं CGPA की गणना -

21.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जायेगी :

| jth semester के लिए – SGPA (Sj) = ∑(Ci x Gi) / ∑Ci | यहाँ पर — Ci = number of credits of the ith coursein jth semester Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester |
|---|--|
| $CGPA = \sum (Cj \times Sj) / \sum Cj$ | ਧਲ਼ੱ ਧਰ – Sj = SGPA of the jth semester Cj = total number of credits in the jth semester |

21.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा : समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का अगणन निम्नवत् किया जायेगाः-

| CCD | Course Title | СТ | SEM | CRDT | GR | GR(P) | CRPT |
|------------|---|-----|-----|------|----|-------|------|
| 0012421801 | Economics: Basics of Microeconomics | DSC | I | 4 | B+ | 7 | 28 |
| 0012421501 | History: History of India | DSC | I | 4 | В | 6 | 24 |
| 0012421301 | Political Science: Indian Political System | DSC | I | 4 | A | 8 | 32 |
| 0032442107 | Basic Physics I | GE | I | 4 | В | 6 | 24 |
| 0052441703 | Yoga and Humaun Values | VAC | I | 2 | В | 6 | 12 |
| 0042461207 | हिंदी भाषा : स्वरूप एवं प्रकार | AEC | I | 2 | B+ | 7 | 14 |

| 0062471218 | Data Analytics | SEC | I | 2 | В | 6 | 12 |
|------------|----------------|---------|------|---|-----|------|----|
| | | | | | | | |
| SEM | TOTAL CREDIT | TOTAL | SGPA | | RES | SULT | |
| | | CR. PT. | | | | | |
| I | 22 | 146 | 6.63 | | P. | ASS | |

Credit points = Grade point x Credit

SGPA = Total credit points / total credits (146/22 = 6.63)

Rounded to two decimal digits

| CALCULATION OF CGPA | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 | | | | | | |
| Credit : 22 | Credit : 22 | Credit : 22 | Credit : 22 | | | |
| SGPA : 6.63 | SGPA : 7.22 | SGPA : 8.96 | SGPA : 7.22 | | | |

The Cumulative Grade Point Average (CGPA) = Total Grade Value / Total Credits

(In all the semesters till now.)

Thus, CGPA = $(22 \times 6.63 + 22 \times 7.22 + 22 \times 8.96 + 22 \times 7.22)/88 = 7.50$

Hence, equivalent percentage = 7.50 X 9.5 = 71.25

And the **Division** will be **First**

21.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी:

| श्रेणी | वर्गीकरण |
|----------------|---|
| प्रथम श्रेणी | 6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA |
| द्वितीय श्रेणी | 5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA |
| तृतीय श्रेणी | 4.00 अथवा उससे अधिक 5.00 से कम CGPA |

22 - प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय—सारणी (Time-table)

- 22.1 समय—सारणी (Time-table) निर्मित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना समीचीन होगा कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों को चूनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।
- 22.2 विश्वविद्यालय सभी महाविद्यालयों / शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर जारी किये गये विनिर्देशों के अनुरुप तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।
- 22.3 स्नातक स्तर के चतुर्थ वर्ष (FYUP) में प्रवेश हेतु अर्हता का निर्धारण विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

23 - मैरिट का निर्धारण (Determination of Merit) —

23.1 विश्वविद्यालय मैरिट में स्थान का निर्धारण विद्यार्थी द्वारा अर्जित कुल ग्रेड प्वाईन्ट (CGPA) के आधार पर किया जायेगा। समान CGPA होने की स्थिति में कुल ग्रेड प्वाईन्ट (CGPA) को समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिये Conversion Factor 9.5 का प्रयोग करते हुए मैरिट का निर्धारण किया जायेगा।

23.2 जिन पाठ्यक्रमों में Lateral Entry के माध्यम से विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में प्रवेश अनुमन्य किया जाता है ऐसे विद्यार्थियों हेतु मैरिट निर्धारण सम्बन्धित नियामक संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा Lateral Entry के विद्यार्थियों को मैरिट सर्टिफिकेट प्रदान किये जाने हेतु पृथक से विश्वविद्यालय स्तर पर नीति निर्धारित की जा सकती है।

24 - अध्यादेश संशोधन का अधिकार -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों का पालन किया जाना भी आवश्यक होगा। अध्यादेश में भविष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत किये जाने वाले समस्त दिशा—निर्देशों एवं अध्यादेशों को समाहित किया जाना अनिवार्य होगा तथा अध्यादेश में किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

TENTATIVE LIST OF AEC'S

| S.N | Subject | Title of course |
|-----|----------------------|---|
| 1 | | English Language through Literature |
| 2 | | English Communication |
| 3 | English | Communication through Digital Tools |
| 4 | | Introduction to Translation |
| 5 | | हिन्दी भाषा : व्याकरण(खं ड- अ) |
| 6 | Hindi | हिन्दी भाषा : व्याकरण(खं ड- ब) |
| 7 | | हिन्दी भाषा : स्वरूप एवं प्रकार (खं ड-अ) |
| 8 | | हिन्दी भाषा : स्वरूप एवं प्रकार (खं ड-ब) |
| 10 | | संस्कृतभापा एवं साहित्य |
| | Sanskrit | संस्कृतभाषा—संज्ञा एवं परिभाषा |
| | | संस्कृतभाषा—सन्धि एवं उपसग |
| | | संस्कृतभाषा—कारक एवं प्रत्यय |
| 12 | Reasoning & Aptitude | Optional in UG 4 th Semester |
| | | (Note: Students can also opt for any other Modern Indian |
| | | Language / Foreign Language from recognized online learning |
| | | platforms.) |

TENTATIVE LIST OF SKILL ENHANCEMENT COURSES (SEC'S)

| S.No. | SUBJECT | No. | NAME OF THE COURSE |
|-------|------------------|-----|--|
| | | 1 | Mushroom Cultivation I |
| | | 2 | Mushroom Cultivation II |
| _ | Determ | 3 | Mushroom Cultivation III |
| 1 | Botany | 4 | Mushroom Cultivation IV |
| | | 5 | Mushroom Cultivation V |
| | | 6 | Mushroom Cultivation VI |
| | | 7 | Introduction To Chemistry Laboratory |
| | | 8 | Laboratory Techniques |
| _ | Ch - mi-t-t- | 9 | Cosmetics And Perfume |
| 2 | Chemistry | 10 | Soap And Detergents Formulation |
| | | 11 | UV And FTIR Spectroscopy |
| | | 12 | HPLC And GC Techniques |
| | | 13 | Personal Financial Planning |
| | | 14 | Digital Marketing |
| _ | Commerce | 15 | Investing In Stock Markets |
| 3 | | 16 | Level 1:Certificate In BFSI – Architecture |
| | | 17 | Level 2:Certificate In Mutual Fund |
| | | 18 | Entrepreneurship And New Venture Creation |
| | | 19 | Office 365 |
| | | 20 | Excel |
| | C | 21 | PowerPoint Presentation |
| 4 | Computer Science | 22 | Cyber Security Awareness |
| | | 23 | Unix System Administration & Shell Programming |
| | | 24 | Client-Side Web Technology |
| | | 25 | Pencil Sketching Skill |
| | | 26 | Pencil Shading Skill |
| _ | Drawing And | 27 | Poster Designing |
| 5 | Painting | 28 | Traditional Composition |
| | | 29 | Nature Study |
| | | 30 | Head Study In Charcoal |
| | | 31 | Regional Economics and Urbanization In Uttarakhand |
| | | 32 | Environmental Economics |
| 6 | Economics | 33 | Entrepreneurship Development Skills |
| | | 34 | Fundamentals Of Startups |
| | | 35 | Computer In Education |
| _ | Education | 36 | Leadership And Personality Development |
| 7 | Education | 37 | Digital Education |
| | | 38 | ICT In Education |

| | | 39 | Data Interpretation and Statistical Analysis |
|----|---------------------------------------|----|--|
| | | 40 | Public Speaking and Leadership Skills |
| | | 41 | Creativity and Performances in Uttarakhand |
| • | - III | 42 | Academic Writing |
| 8 | English | 43 | Editing and Proofreading |
| | | 44 | Language and Journalism |
| | | 45 | Film Appreciation |
| | | 46 | Nursery Technology |
| 9 | Forestry | 47 | Plantation Technology |
| | | 48 | Propagation of Medicinal and Aromatic Plants |
| | | 49 | Introduction to Mountain Ecosystems and Geography |
| | | 50 | Fundamentals of Climate Change |
| | Geography | 51 | The Impact of Climate Change on Mountain Regions |
| 10 | A. Climate Change And Adaptability In | 52 | Climate Change Mitigation and Adaptation in Mountain Regions |
| | Mountains | 53 | Mountain Conservation and Ecosystem Services |
| | | 54 | Mountain Research Project and Climate Change Advocacy |
| | | 55 | Gems, Precious Stone and Building Materials (Theory) |
| 11 | 11 Geology | 56 | Gems, Precious Stone and Building Materials (Lab) |
| | | 57 | हिन्दी में भाषा कम्प्यूटिंग एवं संचार |
| | | 58 | रचनात्मक लेखन का परिचय |
| 42 | 10. 10 | 59 | प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं शासकीय पत्र लेखन |
| 12 | Hindi | 60 | विज्ञापन लेखन |
| | | 61 | पटकथा लेखन |
| | | 62 | कुमाऊँनी संस्कृति एवं भाषा |
| | | 63 | Personality Development |
| | Home Science | 64 | Fashion Apparel Designing |
| 13 | (Prepared for the | 65 | Guidance and Counselling |
| 13 | Pool of Courses) | 66 | Public Speaking |
| | 100101 courses | 67 | Sustainable development |
| | | 68 | Intervention of Children with Special needs |
| | | 69 | Mathematical Techniques |
| 14 | Mathematics | 70 | Data Analysis Methods |
| | | 71 | Financial Mathematical Analysis |
| | | 72 | Basic Knowledge of Hindustani Music Vocal - 01 |
| | | 73 | Basic Knowledge of Hindustani Music Vocal - 02 |
| 15 | Music | 74 | Intermediate Knowledge of Hindustani Music Vocal - 03 |
| | | 75 | Intermediate Knowledge of Hindustani Music Vocal – 04 |
| | | 76 | Advanced Knowledge of Hindustani Music Vocal – 05 |

| | | 77 | Advanced Knowledge of Hindustani Music Vocal – 06 |
|-----|--------------------|-----|--|
| | | 78 | Indigenous Activities - I |
| | | 79 | Indigenous Activities – II |
| | | 80 | Fitness & Conditioning |
| 16 | Physical Education | 81 | Yoga and Wellness |
| | | 82 | Adventure Sports |
| | | 83 | Gym Operation |
| | | 84 | Basic Instrumentation Skills -I |
| 17 | Dlavaiaa | 85 | Basic Instrumentation Skills -II |
| 17 | Physics | 86 | Basic Instrumentation Skills -III |
| | | 87 | Basic Instrumentation Skills -IV |
| | | 88 | Personal Growth and Life Skills |
| | | 89 | Stress Management |
| 4.0 | | 90 | Application of Emotional Intelligence |
| 18 | Psychology | 91 | Effective Decision Making |
| | | 92 | Psychological Skills in Counseling Psychology |
| | | 93 | Child and Adolescent Development |
| | 19 Sanskrit | 94 | नित्यनैमित्तिक अनुष्ठान |
| | | 95 | संस्कृत संगणक |
| 19 | | 96 | ज्योतिशषास्त्र के मूलभूत सिद्धान्त |
| | | 97 | संस्कृत छन्द एवं संगीत |
| | | 00 | Techniques of Social Research- I |
| | | 98 | (Research Problem Identification and Data Collection) |
| | | | Techniques of Social Research - II |
| | | 99 | (Data Management, Analysis, and Presentation) |
| | | 100 | Applied Anthropology- I |
| | | | (Know Your People: Understanding the Ethnic Diversity of |
| 20 | Sociology | | Uttarakhand) |
| | | 101 | Applied Anthropology -II |
| | | | (Tribal Skills: Challenges and Opportunities) |
| | | 102 | Public Policy-I |
| | | 102 | (Public Policy Formulation and Stakeholders) |
| | | 103 | Public Policy-II |
| | | | (Public Policy Evaluation and Impact Assessment) |
| | | 104 | Yoga and Wellness |
| | | 105 | Introduction to Yoga & Naturopathy |
| 21 | Yogic Science | 106 | Introduction to Alternative Therapies |
| 21 | Togic ociciice | 107 | Introduction to Ayurveda |
| | | 108 | Yogic Management of Lifestyle related disorders |
| | | 109 | Holistic Health Development |

| | | 110 | Vermiculture – Theory |
|----|-------------------|-----|--|
| 22 | 71 | 111 | Vermiculture - Practical |
| 22 | Zoology | 112 | Sericulture – Theory |
| | | 113 | Sericulture - Practical |
| | | 114 | Art Appreciation: Art and Architecture in Ancient and Early Medieval India (From Earliest times to 1200 CE) |
| 23 | History | 115 | Art Appreciation: Art and Architecture in Medieval and Modern India (From 1200 CE to 1950 CE) |
| | | 116 | Cultural and Natural Heritage of Uttarakhand |
| | | 117 | Heritage Tourism in India |
| | | 118 | Museum and Heritage Studies - I |
| 24 | Anthropology | 119 | Museum and Heritage Studies – II |
| 24 | | 120 | Communication and Visual Anthropology |
| | | 121 | Biostatistics and Computational Anthropology |
| | | 122 | Defence Studies Disaster Management (Part I) |
| 25 | Defence and | 123 | Defence Studies Disaster Management (Part II) |
| 25 | Strategic Studies | 124 | Defence Studies Disaster Management (Part III) |
| | | 125 | Defence Studies Disaster Management(Part IV) |
| | | 126 | Introduction to Politics and Political Process |
| | | 127 | Political Leadership |
| 26 | Political Science | 128 | Governance & Public Policy |
| 20 | Folitical Science | 129 | Introduction to the Indian Constitution |
| | | 130 | Leadership in Democracy |
| | | 131 | Political Training |

TENTATIVE LIST OF VAC'S

| S.N. | Title of Course |
|------|---|
| 1 | Ethics and Culture |
| 2 | Environment Studies and Value Education |
| 3 | Financial Literacy |
| 4 | पंचतन्त्र में वर्णित नीतिपरक शिक्षाएँ |